



माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प उज्जैन
प्र.क्र. : /2010-11 निगरानी R-1250 -I/2011

1. लालसिंह पिता लक्ष्मणसिंह
 2. ईश्वरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह
 3. तेजसिंह पिता बनेसिंह
 4. दशरथसिंह पिता लालसिंह
 5. गजराजसिंह पिता लालसिंह
 6. तेजकुंवर पति लालसिंह
 7. राजेन्द्रसिंह पिता लालसिंह
 8. बहादुरसिंह पिता ईश्वरसिंह
 9. राजपासिंह पिता ईश्वरसिंह
- निवासीगण— ग्राम ताजपुर तह0 व
जिला उज्जैन — निगरानीकर्तागण
— विरुद्ध —
1. पूनचंद पिता गंगाराम
 2. जगन्नाथ पिता गंगाराम
 3. धर्मेन्द्र पिता भागीरथ, निवासीगण—
ग्राम ताजपुर तह0 व जिला उज्जैन
— प्रत्यर्थागण

श्री लालसिंह सिंह श्रीलक्ष्मण
द्वारा प्रारम्भिक 27-7-11 को
निगरानी उज्जैन - को नं. 42
01/05/11
27/7/11

क
3-8-11

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर उज्जैन द्वारा निगरानी क्रमांक 44/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 26/05/2011 एवं न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 231/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21/06/2011 से दुखित व क्षुब्ध होकर अंदर अवधि निगरानी सादर प्रस्तुत है :-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमान आदि के हस्ताक्षर
------------------	--------------------	---------------------------------------

23.11.2016

आवेदन की आर ल सूचना
 उपरोक्त की भी उपायित नहीं। यह
 मितानी वष 2011 से लागू है और
 तहकीबदा डार रासा खीचे जाने
 लम्ब-धी पाते कोमि आदेश
 से उभूत हुई ही लगभग 5 वर्ष
 से मितानी लागू होने से
 तहकीबदा डार प्रकण में अंतिम
 आदेश पाते होने की पूर्ण समाप्ति
 है। अतः प्रकण इस निर्देश के साथ
 समाप्त किया जाता है कि यदि
 तहकीबदा डार प्रकण में कोमि
 आदेश पाते नहीं किया गया
 है तो 2 माह में आदेश पाते
 करें।

(Handwritten mark)

(Signature)
 अध्यक्ष